संख्या :163/ 1–10–13–14(23)/2004

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉकः २९ मार्च, 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2012–13 में दैवी आपदा कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–बाईस–एम0एस0 (टी)–202–2012, दिनांक 07.03.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 2381/1–10–2012–14(23)/2004 दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रथम चरण में दैवीय आपदा से निपटने हेतु 50 अग्निशमन केन्द्रो को सुदृढ़ किये जाने हेतु न्यूनतम अग्निशमन उपकरण/वाहनों एवं संयत्रों/फैब्रीकेशन हेतु कुल धनराशि रू0 14,45,50,000/– के सापेक्ष 50 प्रतिशत रू0 7,22,75,000/– की धनराशि आवंटित की गयी थी। अतः उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में न्यूनतम अग्निशमन उपकरण/वाहनों एवं संयत्रों/फैब्रीकेशन हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल अवशेष धनराशि रू0 7,22,75,000/– (रु0 सात करोड़ बाईस लाख पचहत्तर हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0	अग्निशमन वाहन/उपकरण का नाम	संख्या	दर	मांगी गयी अवशेष धनराशि
1	वाटर टेण्डर टाईप बी छोटा का फेब्रीकेशन (बाडी का फेब्रीकेशन + चेसिस का क्रय)	25	21,00,000/–	5,25,00,000/–
2	जीप टोइंग व्हेकिल–जीप–ट्रेलर को खीचनें के लिए	25	6,00,000/–	1,50,00,000/–
3	पोर्टेबुल पम्प छोटा (275 एलपीएम)	25	1,25,000/–	31,25,000/–
4	डिलीबरी होज पाईप 63 एमएम डायामीटर (01 अग्निशमन केन्द्र हेतु 10 लेन्थ) (1 लेन्थ = 30 मीटर)	250 लेन्थ	4,500/– (प्रति लेन्थ) 45,000/– (10 लेन्थ 01 अग्निशमन केन्द्र हेतु)	11,25,000/–
5	डिलीबरी होज कपलिंग 63 एमएम डायामीटर (मेल–फीमेल) (1 अग्निशमन केन्द्र हेतु 10 जोड़ा) (मेल–फीमेल)	250 जोड़ा	2100/– (प्रति जोड़ा) 21000/– (10 जोड़ा 01 अग्निशमन केन्द्र हेतु)	5,25,000/–
			कुल योग	7,22,75,000/–

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचते सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जायें।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यो हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। प्रमुख सचिव गृह विभाग उ0प्र0 शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

5. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या :(63अ(1)/1–10–13–14(23)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2–अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 फायर सर्विस इन्दिरा भवन, लखनऊ
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6–मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7–वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।
8–समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।